


झारखण्ड सरकार
आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्प्लेक्स, मोराबादी, राँची।

वित्तीय वर्ष-2022-23 में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना हेतु आवेदन से संबंधित आवश्यक सूचना

निदेशानुसार शैक्षणिक सत्र-2022-23 में झारखण्ड राज्य एवं राज्य के बाहर नामांकन लेने वाले वैसे छात्र-छात्राएँ, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन नहीं कर पाए हैं। उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आवेदन करने से संबंधित प्रक्रियात्मक कार्रवाई हेतु निम्न प्रकार तिथि निर्धारित की जाती है :-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्रवाई	प्रारम्भ तिथि	अंतिम तिथि
1.	शैक्षणिक सत्र-2022-23 हेतु छात्र/छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की तिथि	01.11.2023	24.11.2023
2.	संबंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि।	01.11.2023	30.11.2023

अन्य दिशा निर्देश पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार Website- ekalyan.cg.gov.in पर उपलब्ध है।


27/11/23
अवर सचिव।